coop

बिस्कोमान
बिहार–झारखण्ड
प्रथम तल, बिस्कोमान भवन पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना–1

Phone No. :- 0612-2219987
Fax No. :- 0612-2232377
Website : -www.biscomaun.co.in
E-mail :- biscomaun@gmail.com

पत्रांक :- दिनांक :-

सेवा में

सभी माननीय प्रतिनिधि/सदस्य समिति,
बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड)
बिस्कोमान सामान्य निकाय।

विषयः– बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के सामान्य निकाय की 29वीं वार्षिक आम–सभा दिनांक 16.09.2017 (शनिवार) को पूर्वाहन 11:00 बजे निर्धारण की सूचना।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) पटना की उप–विधि संख्या–21 के आलोक में 29वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक (शनिवार) दिनांक 16.09.2017 को पूर्वाहन 11:00 बजे से दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (DNS) शास्त्रीनगर, पटना–23 के सभागार में आयोजित की गयी है।

बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम 2002 की धारा 38(3) के अनुसार सदस्य सहकारी समिति/संघ केवल अपने अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अथवा संबंधित समिति या संघ के निदेशक मंडल के सदस्य के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम 2002 की धारा 38(3) निम्न प्रकार से हैः–

''किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की सामान्य निकाय अथवा निदेशक मंडल की किसी बैठक में किसी सहकारी समिति अथवा बहुराज्यीय सहकारी समिति को भाग लेना है तो ऐसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठकों में केवल उसके चेयरपर्सन/मुख्य कार्यकारी या अध्यक्ष अथवा निदेशक मंडल के सदस्य, यथास्थिति के द्वारा किया जायेगा, यदि संबंधित सदस्य को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किन्तु जहां पर किसी कारणवश कोई निदेशक मंडल नहीं है ऐसी सदस्य समिति या बहुराज्यीय सहकारी समिति के प्रशासक चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारते हों, द्वारा संबंधित बैठक में भाग लिया जायेगा।

वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि के नाम में अंतिम क्षणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो नये नामित प्रतिनिधि अपने साथ समिति का नया प्रस्ताव और संपूर्ण रूप से भरा हुआ पहचान फॉर्म (वर्तमान फोटो संलग्न) सहित लायेगें जो कि आपके क्षेत्र के जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ या अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक के प्रबंधक से अथवा जहां समिति का खाता है वहां के प्रबंधक की कार्यालयीन मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने का कष्ट करेगें। यदि किसी समिति के प्रतिनिधि बदल गये हों तो उसकी सूचना बिस्कोमान के वेबसाईट www.biscomaun.co.in पर उपलब्ध प्रपत्र को डाउनलोड कर दिनांक 31.08.2017 तक देना सुनिश्चित करेगें। प्रपत्र की प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

<u>वार्षिक सामान्य निकाय की कार्य–सूची निम्न प्रकार हैः–</u>

1 दिनांक–28.09.2016 को सम्पन्न वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

2 दिनांक–28.09.2016 को सम्पन्न वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन एवं सम्पुष्टि।

3 निदेशक पर्षद की बैठकों दिनांक–07.02.2017, 24.04.2017 एवं 28.07.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।

4 वर्ष 2016–17 के अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन।

5 वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन।

6 अंकेक्षण त्रुटि–सुधार प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन।

7 वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

8 कर्मचारियों की सूची जो बिस्कोमान निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के रिश्तेदार है।

9 वित्तीय वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण कराने के लिए सनदी लेखाकारों का चयन।

10 उपविधि में टंकण भूल के सुधार के संबंध में।

11 बिस्कोमान के दीर्घकालीन योजनाएँ एवं वार्षिक परिचालन योजनाओं पर विचार एवं निर्णय।

12 अन्यान्य–माननीय अध्यक्ष की अनुमति से।

विश्वासभाजन
ह०/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
2. निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची

निबंधित

को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त आम–सभा में ससमय भाग लेने का कष्ट करेगें।

ह०/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः– बैठक–144–एम–920 दिनांकः– 04–08–2017

निबंधित

प्रतिलिपिः–केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियाँ, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

8.8.17

प्रबंध निदेशक

फार्म–आर०जी०बी०

बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

प्रतिनिधि का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

सामान्य निकाय की 29वीं वार्षिक आम–सभा में प्रतिनिधि के लिए नामांकन फार्म

दिनांक .... को संपन्न कार्यकारिणी/निदेशक पर्षद की बैठक के प्रस्ताव संख्या–.......... में लिये गये निर्णयानुसार श्री ...., पिता/पति–.. अध्यक्ष/प्रतिनिधि .... समिति को बिस्कोमान की 29वीं वार्षिक आम–सभा में प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रति (मुहर सहित) संलग्न है।

प्रतिनिधि का नाम एवं पूरा पताः–

(नाम और पता साफ शब्दों में)

....

....

....

....

मोबाईल नं०– ....

....

(प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

दिनांकः–.....................................

....

(समिति के अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर)

समिति का नाम एवं पूरा पताः–

....

....

....

....

नोटः–

यदि समिति की ओर से मुख्य कार्यकारी को नामित किया जा रहा हो तो निम्नलिखित घोषणा को समिति के अध्यक्ष/सभापति/मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर द्वारा अग्रसारित करें।

''यह सम्पुष्ट किया जाता है कि समिति प्रबंध निकाय/निदेशक पर्षद/प्रबंध समिति द्वारा संचालित है, प्रशासक द्वारा नहीं''।

....

(अध्यक्ष/सभापति/मुख्य कार्यकारी का हस्ताक्षर)